"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से.. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 282] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 2 जुलाई 2013—आषाढ़ 11, शक 1935

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग
निर्वाचन भवन, दाऊ कल्याण सिंह भवन के समीप, रायपुर (छ.ग.)

रायपुर, दिनांक 1 जुलाई 2013

क्रमांक एफ-73/रानिआ/न.पा./व्यय लेखा/2010/782.—दिनांक 1 जुलाई 2013 को नगरपालिका परिषद् खैरागढ़, जिला-राजनांदगांव, छ.ग. के 1 अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निरर्हित घोषित किया गया है, की सूचना एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाती है.

एस. आर. बांधे,
उप-सचिव.

प्रकरण क्रमांक एफ-2/रानिआ/न.पा./व्यय लेखा-2011

1. धनवंती मिश्रा अभ्यर्थी अध्यक्ष पद आम निर्वाचन दिसम्बर 2010 नगर पालिका परिषद् खैरागढ़, जिला-राजनांदगांव (छ.ग.)

आदेश

(छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग सहपठित धारा 32-ख के अन्तर्गत)
पारित दिनांक 1 जुलाई 2013

1. यह प्रकरण कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन), अविभाजित राजनांदगांव (एतत्पश्चात् संक्षेप में निर्वाचन अधिकारी) के प्रतिवेदन दिनांक 27 जनवरी 2011 के आधार पर छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (एतत्पश्चात् संक्षेप में अधिनियम) की धारा 32-ग सहपठित धारा 32-ख के तहत प्रारंभ किया गया है.

2. प्रकरण का संक्षिप्त विवरण यह है कि नगरपालिका परिषद् खैरागढ़ के अध्यक्ष पद के लिये दिसम्बर 2010 में सम्पन्न आम निर्वाचन में कुल 3 अभ्यर्थियों ने निर्वाचन लड़ा था. निर्वाचन परिणाम 24 दिसम्बर 2010 को घोषित किया गया. निर्वाचन अधिकारी ने राज्य निर्वाचन आयोग (एतत्पश्चात् संक्षेप में आयोग) को अपने ज्ञापन दिनांक 27 जनवरी 2011 के द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जानकारी के साथ प्रतिवेदित किया कि नगर पालिका परिषद् खैरागढ़ के आम निर्वाचन 2010 में भाग लेने वाली अभ्यर्थी धनवंती मिश्रा द्वारा निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तिथि 24 दिसम्बर 2010 के पश्चात् निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत करने की आखिरी तारीख 23 जनवरी 2011 तक विधि की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय का लेखा निर्वाचन अधिकारी के पास प्रस्तुत नहीं किया गया है.

3. निर्वाचन अधिकारी के प्रतिवेदन के परिप्रेक्ष्य में आयोग द्वारा अभ्यर्थी धनवंती मिश्रा को दिनांक 2 अप्रैल 2011 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया जो अभ्यर्थी को दिनांक 21 अप्रैल 2011 को सम्यक् रूप से तामील की गई. कारण बताओ सूचना के सन्दर्भ में अभ्यर्थी द्वारा अपना जवाब दिनांक 25 अप्रैल 2011 को आयोग में प्रस्तुत किया जिसमें उनके द्वारा लेख किया गया कि उन्होंने निर्वाचन व्यय लेखा विधिवत् दिनांक 17 जनवरी 2011 को जिला निर्वाचन अधिकारी खैरागढ़ के कार्यालय में जमा कर पावती प्राप्त की थी. पावती की छायाप्रति संलग्न करते हुए उनके द्वारा निवेदन किया गया है कि उनके नाम से जारी ज्ञापनों को निरस्त किया जावे क्योंकि उनके द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा समयावधि में नियमानुसार प्रस्तुत किया गया है. अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत जवाब के सन्दर्भ में निर्वाचन अधिकारी का अभिमत प्राप्त किया गया. निर्वाचन अधिकारी ने अपने ज्ञापन क्रमांक 36/स.अ./स्था.निर्वा./2013, दिनांक 1 अप्रैल 2013 में सूचित किया है कि अभ्यर्थी धनवंती मिश्रा द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं किया गया है. उन्होंने यह भी सूचित किया है कि अभ्यर्थी के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी एवं रिटर्निंग ऑफिसर (नगरपालिका) खैरागढ़ को दिनांक 17 जनवरी 2011 को प्रस्तुत किया गया था. इस पर अभ्यर्थी को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए उन्हें दिनांक 28 मई 2013 को आयोग में आहूत किया गया एवं उनका शपथपूर्वक बयान लिपिबद्ध किया गया जिसमें अभ्यर्थी ने दर्शाया कि उसने अपना निर्वाचन व्यय लेखा दिनांक 17 जनवरी 2011 को अनुविभागीय अधिकारी खैरागढ़ जो उक्त निर्वाचन में रिटर्निंग आफिसर थे, के कार्यालय में प्रस्तुत कर पावती प्राप्त की थी. उन्होंने यह भी दर्शाया कि निर्वाचन व्यय लेखा की छायाप्रति कोरियर के माध्यम से दिनांक 21 अप्रैल 2011 को कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी राजनांदगांव एवं छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग को भेजी है. अभ्यर्थी द्वारा निवेदन किया गया कि उनके द्वारा प्रस्तुत निर्वाचन व्यय लेखा को समयावधि में प्रस्तुत होना माना जाये एवं उनके विरुद्ध प्रकरण समाप्त किया जाये.

4. प्रकरण से संबंधित अभिलेखों का परिशीलन किया गया. निर्वाचन अधिकारी ने प्रतिवेदित किया है कि अभ्यर्थी धनवंती मिश्रा ने निर्वाचन व्यय लेखा विहित रीति में प्रस्तुत नहीं किया है. यह अधिनियम की धारा 32-क (1) एवं 32-ख की अपेक्षा के अनुरूप नहीं है. अधिनियम की धारा 32-क (1) निम्नानुसार है :—

"**धारा 32-क. (1) अध्यक्ष के निर्वाचन में निर्वाचन व्ययों का लेखा**—प्रत्येक अभ्यर्थी निर्वाचन संबंधी उपगत उस सब व्यय का जो, उस तारीख के जिसको वह नामनिर्दिष्ट किया गया है और उस निर्वाचन के परिणामों की घोषणा की तारीख के, जिनके अन्तर्गत ये दोनों तारीखें आती हैं, बीच स्वयं द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा उपगत या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया गया है, पृथक् और सही लेखा या तो वह स्वयं रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवायेगा."

इससे स्पष्ट है कि अधिनियम की धारा 32-क (1) की अपेक्षानुसार अध्यक्ष पद के निर्वाचन में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन व्ययों का प्रतिदिन का लेखा रखा जाना अनिवार्य है. अधिनियम की धारा 32-ख निम्नानुसार है :

"**धारा 32-ख. निर्वाचन व्यय के लेखे को दाखिल किया जाना**— अध्यक्ष के निर्वाचन में का प्रत्येक निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा, जो उस लेखा की सही प्रति होगी जिसे उसने या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने धारा 32-क के अधीन रखा है, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास, दाखिल करेगा."

अधिनियम की धारा 32-ख की अपेक्षानुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा तिथि से 30 दिवस के अंदर निर्वाचन व्यय का लेखा आयोग के द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल किया जाना अनिवार्य है. निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण एवं प्रस्तुति) आदेश 1997 की कंडिका 7 के तहत निर्वाचन अधिकारी को अधिसूचित अधिकारी नामोद्दिष्ट किया गया है. अतः उक्त व्यय लेखा निर्वाचन अधिकारी के पास दिनांक 23 जनवरी 2011 तक प्रस्तुत करना था.

5. निर्वाचन अधिकारी के प्रतिवेदन, अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं शपथपूर्वक बयान तथा प्रकरण से संबंधित उपलब्ध अन्य अभिलेखों के परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि नगरपालिका परिषद् खैरागढ़ के आम निर्वाचन 2010 में भाग लेने वाली अभ्यर्थी धनवंती मिश्रा द्वारा प्रस्तुत जवाब के साथ संलग्न पावती में न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी खैरागढ़ की सील लगी है तथा उक्त पावती में दिनांक 17 जनवरी 11 अंकित है जिसमें अभ्यर्थी द्वारा रुपये 71,984 का व्यय लेखा प्रस्तुत करना दर्शाया गया है, अर्थात् अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा अनुविभागीय अधिकारी खैरागढ़ को प्रस्तुत किया गया है जबकि उनको अधिनियम की धारा 32-क (1) तथा धारा 32-ख की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय का लेखा अधिसूचित अधिकारी अर्थात् निर्वाचन अधिकारी के पास निर्धारित अवधि में विहित रीति से दाखिल करना था. निर्वाचन अधिकारी ने अपने ज्ञापन क्रमांक 15/स.अ./स्था.निर्वा./2013, दिनांक 21 फरवरी 2013 के द्वारा सूचित किया है कि अभ्यर्थी धनवंती मिश्रा के द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष व्यय लेखा निर्धारित अवधि में प्रस्तुत नहीं किया गया है. अधिनियम की धारा 32-ख की अपेक्षा अनुसार निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण एवं प्रस्तुति) आदेश 1997 की कंडिका 7 में निर्वाचन व्यय लेखा निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करने हेतु व्यवस्था नियत की गई है. अत: निर्वाचन अधिकारी को ही निर्वाचन लेखा प्रस्तुत करना विधि अनुरूप है. पीला बाई जैन विरुद्ध राज्य निर्वाचन आयोग एवं अन्य [रिट पीटीशन (C) No. 1331 of 2012] मामले में पारित आदेश दिनांक 30 जनवरी 2013 में माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा यह धारित किया गया है कि जिला निर्वाचन अधिकारी से भिन्न अन्य अधिकारी को प्रस्तुत निर्वाचन व्यय लेखा अधिनियम की व्यवस्था के अनुरूप नहीं माना जा सकता. अतः अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 17 जनवरी 2011 को अनुविभागीय अधिकारी एवं रिटर्निंग आफिसर (नगरपालिका) खैरागढ़ को प्रस्तुत प्रश्नाधीन निर्वाचन व्यय लेखा की प्रस्तुति को अधिनियम की धारा 32-ख की अपेक्षा की पूर्ति नहीं माना जा सकता है क्योंकि उक्त निर्वाचन व्यय लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी को नियत अवधि के अन्दर प्राप्त नहीं हुआ. अत: आयोग को यह समाधान हो गया है कि अभ्यर्थी धनवंती मिश्रा प्रश्नाधीन निर्वाचन व्ययों का लेखा निर्धारित समयावधि के भीतर अधिनियम के अधीन अपेक्षित रीति में आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करने में असफल रही है तथा अभ्यर्थी इस असफलता के लिये कोई उपयुक्त कारण या न्यायोचित्यता नहीं रखती है. अधिनियम की धारा 32-ग में बिना अच्छा कारण अथवा न्यायोचित्यता रहित असफलता के लिए आदेश की तारीख से 5 वर्ष से अनाधिक कालावधि के लिए निरर्हित करने का प्रावधान है. लेकिन विद्यमान परिस्थिति में तीन वर्ष की कालावधि हेतु निरर्हित करना न्याय के हित में उचित प्रतीत होता है. तद्नुसार अधिनियम की धारा 32-ग के प्रावधान अनुसार अभ्यर्थी धनवंती मिश्रा को निर्वाचन व्ययों का लेखा निर्धारित समयावधि के भीतर विहित रीति से विधि की अपेक्षानुसार दाखिल करने में असफल रहने के कारण तथा धारा 32-ग (ख) में वर्णित कोई यथोचित कारण नहीं रखने के कारण इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिये नगरपालिका परिषद् का अध्यक्ष या पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है. अधिनियम की धारा 32-ग की अपेक्षानुसार इस आदेश का प्रकाशन छत्तीसगढ़ राजपत्र में कराया जाए.

6. यह आदेश छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग की मोहर से तारीख 1 जुलाई 2013 को जारी किया गया.

हस्ता./-

(पी. सी. दलेई)
राज्य निर्वाचन आयुक्त.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.